राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. सिविल अपील संख्या 59/2024

जोगा राम पुत्र श्री चैना राम, उम्र लगभग 72 वर्ष, जाति सीरवी, निवासी नारलाई, तहसील देसूरी, जिला पाली।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राजस्व बोर्ड, अजमेर (राजस्थान)

2. राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय, जोधपुर।

3. उपखण्ड अधिकारी, बाली।

4. राजस्थान राज्य, तहसीलदार देसूरी, तहसील के माध्यम से देसूरी, जिला पाली।

5. डोली बाणम मंदिर श्री चारभुजाजी, नारलाई, तहसील देसूरी, जिला पाली

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री जे.एल. पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शशांक जोशी, श्री आर.एस. बोहरा द्वारा सहायता प्राप्त
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री एसएस लदरेचा, एएजी श्री क्षितिज व्यास श्री दीपक सुथार

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्री न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास

निर्णय

रिपोर्ट करने योग्य

03/07/2024

1. यह अपील, अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 01.11.2023 के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित भूमि के संबंध में अपीलकर्ता की स्थिति से संबंधित विवाद

के मामले में राजस्व अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ उप-मंडल अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में तथा सारगर्भित रूप से बताए गए हैं, जो न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक हैं, कि ग्राम नारलाई, तहसील देसूरी, जिला पाली में स्थित खसरा संख्या 2255, 2256, 2259 तथा 2260 (पुराने खसरा संख्या 472 तथा 473) की भूमि का एक टुकड़ा, अपीलकर्ता के खातेदार (काश्तकार) के रूप में दर्ज था। तथापि, उपखण्ड अधिकारी ने 30.11.1987 को एक आदेश पारित कर अपीलकर्ता का नाम काटकर विवादित भूमि को डोली बानाम मंदिर चारभुजाजी के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। इस आदेश से अपीलकर्ता के दर्ज काश्तकारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इसलिए उसने राजस्व अपील की। दिनांक 24.06.1993 के आदेश द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। यद्यपि उप-विभागीय अधिकारी द्वारा विवादित भूमि को मंदिर के नाम पर दर्ज करने के आदेश को बरकरार रखा गया था, तथापि यह माना गया कि यदि अपीलकर्ता को बेदखल किया जाना है, तो सक्षम न्यायालय के समक्ष उचित उपाय करना होगा। इसके बाद अपीलकर्ता ने दूसरी अपील दायर की, जिसे दिनांक 26.11.1998 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया तथा इसके विरुद्ध समीक्षा भी दिनांक 04.12.2001 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। इसके बाद अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया, जिससे वर्तमान अपील की उत्पत्ति हुई।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही राजस्व प्रविष्टियों में सुधार करते हुए खातेदार के रूप में उसका नाम काट दिया तथा राजस्व अभिलेखों में डोली बनम मंदिर चारभुजाजी का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इस आदेश के गंभीर सिविल परिणाम हुए तथा भूमि राजस्व अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपखण्ड अधिकारी को नोटिस जारी करना, जांच करना तथा उसके बाद ही आदेश पारित करना था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया।

4. गुण-दोष के आधार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि अपीलार्थी काश्तकार के रूप में भूमि पर खेती कर रहा था, जो कि कोई विवादित तथ्यात्मक स्थिति नहीं है, इसलिए राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के लागू होने के बाद आने वाले कानूनी परिणाम यह होंगे कि अपीलार्थी काश्तकारी अधिकार प्राप्त कर लेगा और खातेदार बन जाएगा। उन्होंने

प्रस्तुत किया कि इस कानूनी स्थिति के अनुरूप ही राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां करके खातेदार की कानूनी स्थिति दर्ज की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1952 के अधिनियम के लागू होने से पहले भी अपीलार्थी काश्तकार के रूप में भूमि पर खेती कर रहा था और इसलिए तारा एवं 35 अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के मद्देनजर [2015(3) डब्ल्यूएलसी (राज.) 548], अपीलकर्ता ने काश्तकारी अधिकार प्राप्त कर लिए और खातेदार बन गया। उन्होंने आगे कहा कि यदि उचित अवसर दिया जाता तो वे उप-विभागीय अधिकारी को संतुष्ट कर देते। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि उनके द्वारा राजस्व अपील पहले राजस्व अपीलीय प्राधिकरण और उसके बाद राजस्व बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इस पहलू पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी मामले के इस पहलू की सराहना नहीं की है। उनका कहना है कि राजस्व न्यायालयों के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले को इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में न देखकर गलत दिशा में कदम उठाया है और कानून की गलत धारणा पर आगे बढ़े हैं कि देवता, भले ही वह जागीरदार के रूप में काम नहीं कर रहे हों, खातेदार के रूप में काम करते रहेंगे, भले ही भूमि पर कोई किरायेदार खेती कर रहा हो या नहीं, वह शेबैत/पुजारी या मंदिर के खर्च के लिए उनके द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी या कर्मचारी न हो। इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश और राजस्व अधिकारियों और अपीलीय न्यायालयों द्वारा किए गए विभिन्न आदेश और कार्यवाही कानून की दृष्टि से टिकने योग्य नहीं हैं और उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

5. प्रतिवादी-राज्य और प्रतिवादी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि यद्यपि उप-विभागीय अधिकारी ने अपीलकर्ता को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया है, फिर भी कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उनके अनुसार राजस्व अभिलेख/बंदोबस्त अभिलेखों से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता देवता की ओर से खेती करने के लिए नियुक्त था, न कि उससे स्वतंत्र रूप से। उनका कहना है कि ऐसे मामले में, 1952 के अधिनियम के लागू होने के बाद भी, ऐसा व्यक्ति देवता के विरुद्ध किसी खातेदारी/किराएदारी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि देवता सदैव नाबालिग रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राजस्व न्यायालयों के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी इस कानूनी और तथ्यात्मक पहलू पर लगातार प्रतिवादियों के पक्ष में और अपीलकर्ता के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसलिए, इस अपील में कोई दम नहीं है।

6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की विस्तृत सुनवाई की है तथा मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका के साथ दायर की गई दो राजस्व प्रविष्टियाँ, पहली "पर्चा ताजवीज लगान" तथा "खतौनी बंदोबस्त" में डोली बनम मंदिर चारभुजाजी को स्वामी/भोक्ता के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि दुर्गा (अपीलकर्ता जोगा राम की पूर्ववर्ती) का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया है। राजस्व अभिलेखों में ये दोनों राजस्व प्रविष्टियाँ 1952 के अधिनियम के लागू होने से पहले की गई थीं।

8. तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर के पुजारी के कहने पर मंदिर प्रशासन एवं अपीलकर्ता के मध्य विवाद चल रहा था। मंदिर के पुजारी ने सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम नारलाई में स्थित विवादित भूमि को डोली बनम मंदिर चारभुजाजी के नाम दर्ज किया जाए, जिसे दिनांक 18.01.1987 को खारिज कर दिया गया। अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 08.07.1987 के आदेश द्वारा आदेश को अपास्त कर दिया तथा मामले को आदेश के अनुसार उचित जांच करने एवं उचित आदेश पारित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया गया।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश पारित होने के पश्चात उपखंड अधिकारी ने दिनांक 30.11.1987 को आदेश पारित कर भूमि को देवता के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। जैसा कि हमने पहले ही ऊपर बताया है, अपीलकर्ता ने समय-समय पर विभिन्न आदेशों को चुनौती दी, लेकिन असफल रहे।

10. इन सभी आदेशों को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि इन आदेशों में एक बात समान है कि चूंकि भूमि पहले देवता के नाम पर दर्ज थी और अपीलकर्ता केवल किरायेदार था, इसलिए अपीलकर्ता का नाम काटकर भूमि को देवता के नाम पर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।

11. इस समय, हम तारा एवं 35 अन्य (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें देवता की भूमि पर किरायेदार के रूप में खेती करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में मुद्दा विचार के लिए आया था। बड़ी पीठ ने निर्णय के लिए अपने सामने निम्नलिखित तीन प्रश्न रखे:

> "(i) क्या हिंदू मूर्ति (देवता) द्वारा डोलीदार या मुआफिदार के रूप में जागीर में धारित भूमि, देवता के शबैत/पुजारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके शबैत/पुजारी द्वारा देवता के काश्तकार के रूप में रखे गए भाड़े के मजदूरों या सेवकों द्वारा

जोती जाती है, ऐसी मूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना जाता है, फिर भी उसे देवता की निजी खेती में धारित भूमि माना जाएगा या ऐसी भूमि को देवता के काश्तकार के रूप में ऐसी भूमि पर खेती करने वाले व्यक्ति द्वारा काश्तकारी में धारित माना जाएगा?

(ii) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी जागीर के पुनर्ग्रहण की तिथि को हिंदू मूर्ति (देवता) के शबैत/पुजारी के नाम से धारित भूमि पर क्या अधिकार हैं?

(iii) क्या हिंदू मूर्ति (देवता) के शबैत/पुजारी द्वारा उनके नाम पर जागीर (मुअफ़ी) की बहाली की तारीख के बाद रखी गई ऐसी जागीर भूमि/मुअफ़ी को उनके द्वारा अलग किया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका क्या प्रभाव होगा?"

12. पहले मुद्दे पर, पूर्ण पीठ ने भूमि राजस्व अधिनियम की योजना और जागीर अधिनियम की बहाली पर विस्तृत विचार करने के बाद, अपना निष्कर्ष इस प्रकार दर्ज किया:

"25. हमारी राय में, कानून के उपर्युक्त स्थापित सिद्धांतों के आधार पर, हिंदू मूर्ति (देवता) केवल ऐसी भूमि जागीर में रख सकते हैं, जिसे शबैत/पुजारी ऐसे देवता के लिए खेती कर रहे हों, जिसका कृषि कार्यों से सीधा संबंध हो या तो वे स्वयं या उनके द्वारा रखे गए मजदूर या नौकर के माध्यम से, ताकि वे खुदकाश्त होने का दावा कर सकें और जागीर अधिनियम 1952 के तहत पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण से सुरक्षित हों। यदि भूमि काश्तकार को खेती के लिए दी गई थी या काश्तकार के माध्यम से खेती की गई थी, तो ऐसी भूमि काश्तकार की खातेदारी बन जाती थी और जिस पर काश्तकार का राज्य के साथ सीधा संबंध होता था। जागीर अधिनियम 1952 ने जागीरदारों के सभी अधिकार छीन लिए, जिसमें काश्तकारों द्वारा खेती की गई भूमि पर हिंदू मूर्ति (देवता) के दोलीदार या मुआफिदार होने का अधिकार भी शामिल था। उनका ऐसी भूमि पर कोई अधिकार नहीं रह गया। शेबैत/पुजारी को काश्तकारों द्वारा खेती की जाने वाली ऐसी भूमि पर कोई अधिकार जताने के लिए कोई स्वतंत्र दर्जा नहीं मिल सकता। ऐसी काश्तकारी को हिंदू मूर्ति (देवता) का उप-काश्तकार

भी नहीं माना जा सकता, जिससे हिंदू मूर्ति (देवता) पर कोई अधिकार न आ जाए।

26. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हम प्रश्न संख्या (i) को राज्य के पक्ष में तथा जागीर अधिनियम 1952 द्वारा भूमि को बचाए जाने का दावा करने वाले शबैत/पुजारी के विरुद्ध निर्णय देते हैं। हिंदू मूर्ति (देवता) द्वारा जागीर में डोलीदार या मुआफिदार के रूप में धारित भूमि, जिस पर देवता के शबैत/पुजारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके शबैत/पुजारी द्वारा देवता के काश्तकार के रूप में रखे गए मजदूरों या सेवकों द्वारा खेती की जाती है, जागीर अधिनियम 1952 के पश्चात राज्य में निहित हो जाएगी। हिंदू मूर्ति (देवता), भले ही उसे शाश्वत नाबालिग माना जाता हो, ऐसी भूमि पर कब्जा नहीं रख सकता। ऐसी भूमि को उसकी निजी खेती नहीं माना जा सकता। ऐसी भूमि का काश्तकार उस भूमि पर खेती करके राज्य के खातेदार के अधिकार प्राप्त कर लेता है। हिंदू मूर्ति (देवता) के शबैत/पुजारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पट्टे के तहत ऐसी भूमि ऐसे किरायेदार की खातेदारी भूमि बन गई। ऐसी भूमि से हिंदू मूर्ति (देवता) का नाम राजस्व अभिलेखों से मिटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि शबैत/पुजारी को खातेदार के रूप में भूमि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। नतीजतन, उन्हें ऐसी भूमि को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था, और ऐसे सभी हस्तांतरणों को जागीर अधिनियम 1952 के उल्लंघन में शून्य और अमान्य माना जाना चाहिए, और ऐसे हस्तांतरणों के तहत भूमि राज्य द्वारा फिर से हासिल की जानी चाहिए।

13. वर्तमान मामले में, तथ्यों के आधार पर, राजस्व अधिकारियों के समक्ष विचार और निर्धारण हेतु जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या अपीलकर्ता 1952 के अधिनियम के लागू होने और जागीर की बहाली के बाद खातेदार (वैधानिक किरायेदार) के रूप में दर्ज होने का हकदार था। जैसा कि उपरोक्त निर्णय में स्पष्ट किया गया है, कानूनी स्थिति यह है कि हिंदू मूर्ति (देवता) केवल ऐसी भूमि को जागीर में रख सकते हैं, जिस पर शेबैत/पुजारी ऐसे देवता के लिए खेती कर रहे हों, जिसका कृषि कार्यों से सीधा संबंध हो, चाहे वह स्वयं हो या उनके द्वारा रखे गए मजदूर या नौकर के माध्यम से, ताकि वे खुदकाश्त होने का दावा कर सकें

और जागीर अधिनियम 1952 के तहत पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण से सुरक्षित हो सकें, जिसे कानूनी स्थिति के रूप में भी स्पष्ट किया गया है कि यदि भूमि काश्तकार को खेती के लिए दी गई थी या काश्तकार के माध्यम से खेती की गई थी, तो ऐसी भूमि काश्तकार की खातेदारी बन जाती है और जिस पर काश्तकार का राज्य के साथ सीधा संबंध होता है। जागीर अधिनियम 1952 ने जागीरदारों के सभी अधिकार छीन लिए, जिसमें काश्तकारों द्वारा खेती की गई भूमि पर हिंदू मूर्ति (देवता) के दोलीदार या मुआफिदार होने का अधिकार भी शामिल है। ऐसी भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाता क्योंकि शेबैत/पुजारी को कोई स्वतंत्र दर्जा नहीं मिल सकता। ऐसी काश्तकारी को हिंदू मूर्ति (देवता) का उप-काश्तकार भी नहीं माना जा सकता, जिससे हिंदू मूर्ति (देवता) पर कोई अधिकार न हो।

14. तारा एवं 35 अन्य (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय से पहले अपीलीय प्राधिकारी सहित राजस्व अधिकारियों द्वारा आदेश पारित किए गए थे। हालांकि, उक्त आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका रिट न्यायालय के समक्ष लंबित रही और तारा एवं 35 अन्य (सुप्रा) के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा कानूनी स्थिति तय किए जाने के बाद विद्वान एकल न्यायाधीश के विचारार्थ आई। इसलिए, तारा एवं 35 अन्य (सुप्रा) के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा तय की गई कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पक्षों के अधिकारों का न्यायनिर्णयन किया जाना आवश्यक था। दूसरे शब्दों में, जो जांच की जानी थी वह यह थी कि क्या अपीलकर्ता विवादित भूमि पर काश्तकार के रूप में खेती कर रहा था या उसे मजदूर के रूप में काम पर रखा गया व्यक्ति या शबैत/पुजारी द्वारा नियोजित व्यक्ति कहा जा सकता है। यदि यह पाया जाता है कि वह अधिनियम 1952 के तहत जागीर की बहाली के समय एक काश्तकार के रूप में भूमि पर खेती कर रहा था, तो कानूनी परिणाम यह होगा कि उसे काश्तकार का दर्जा प्राप्त होगा। हालांकि, यदि यह पाया जाता है कि खेती काश्तकार के रूप में नहीं थी, बल्कि वह स्वयं शबैत या पुजारी था या उनके द्वारा काम पर रखा गया मजदूर था या उनके द्वारा नियोजित व्यक्ति था, तो ऐसी स्थिति में वह अधिनियम 1952 के तहत जागीर की बहाली पर खातेदार के रूप में दर्ज होने का हकदार नहीं होगा।

15. हमारा मत है कि इस पहलू की राजस्व प्राधिकरण द्वारा उचित जांच की जानी आवश्यक है क्योंकि कानूनी स्थिति तारा एवं 35 अन्य (सुप्रा) के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के बाद वर्ष 2015 में ही तय हुई थी।

16. उपरोक्त विचार के मद्देनजर, मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और अपीलकर्ता के संबंध में विभिन्न

राजस्व अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों द्वारा किए गए सभी आदेशों और कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए इच्छुक हैं। उप-मंडल अधिकारी, बाली को निर्देश दिया जाता है कि वे पक्षों को उनके मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने की अनुमति देकर जांच करें और फिर तारा एवं 35 अन्य (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून और कानूनी स्थिति के अनुसार एक तर्कसंगत आदेश पारित करें।

17. पक्षों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ 05 अगस्त, 2024 को उप-मंडल अधिकारी, बाली के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। उप-मंडल अधिकारी को यथाशीघ्र, अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करनी चाहिए।

18. तदनुसार, अपील को ऊपर बताए गए तरीके से स्वीकार किया जाता है।

(मदन गोपाल व्यास),जे **(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव),सीजे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।